उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

होली त्यौहार के दृष्टिगत एक लम्बे अन्तराल के बाद आज दिनांकः- 22.03.2025 को खुल रहे बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 21.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराह का0 भरत सिंह व म0का0 प्रियंका गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त इन्द्रेश राजपूत पुत्र उत्तम राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 सफेद प्लास्टिक की बोरी में 21 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए मोहनपुर तिगैला ग्राम बुधवारा मोड़ के पास ग्राम इन्द्रहटा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 60/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

इन्द्रेश राजपूत पुत्र उत्तम राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्य
2. का0 भरत सिंह
3. म0का0 प्रियंका गौतम

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 22.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

फर्जी पेमेंट ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को थाना चरखारी की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकांत गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह हे0का0 महेन्द्र पाल व कां0 निशांत पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक-03.03.2025 को टाकीज तिराहा मुस्करा रोड के पास अवस्थित किराने की दुकान पर खरीदारी कर फर्जी डिजिटल एप के माध्यम से पेमेंट दिखाकर धोखाधडी किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चरखारी में मु0अ0सं0 54/2025 धारा 316(2)/318(4) BNS पंजीकृत किये गये अभियोग से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त उमेश उर्फ सत्यम पुत्र राधे श्याम राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी शिवम पैलेस के पीछे मुहल्ला छोटी जुलेटी थाना राठ जनपद हमीरपुर को सूपा चौराहा कस्बा चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 720 रु. नगद सहित 01 अदद मोबाइल फोन जिसमें फर्जी पेमेंट एप इंस्टाल पाया गया है । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेसी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. हे0कां0 महेन्द्र पाल 3. कां0 निशांत पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त-

उमेश उर्फ सत्यम पुत्र राधे श्याम राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी शिवम पैलेस के पीछे मुहल्ला छोटी जुलेटी थाना राठ जनपद हमीरपुर